राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2228/2021

मुकुल कवियां

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुकुट बिहारी शर्मा, वर्तमान में प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजंना, ब्लॉक देवगढ़, राजसमंद, राजस्थान।
4. भरत कुमार व्यास वर्तमान में प्रधानाचार्य,राजकीय महिपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, सगवाड़ा, ब्लॉक सगवाड़ा, जिला डूंगरपुर।
5. ऑम प्रकाश शर्मा, वर्तमान में प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बजौड़, ब्लॉक पिपराली, सीकर।
6. रमेश कुमार रंगा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :
प्रस्तुततीकरण दिनांक : 06.04.2024
सुनवाई की दिनांक : 27.08.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री रविकांत अग्रवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.02.1997 द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था। इस पद के लिए महिला उम्मीदवारों को सामान्यतः प्रधानाध्यापक कहा जाता था, जिन्हें यहां (एचएम) कहा गया है। नियुक्ति 2 साल की परीवीक्षा अवधि के लिए थी। अपीलार्थी का नाम आदेश क्रमांक 8 पर है। इस सूची में अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रमांक 68 रखा गया है। अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1996–97 के लिए एचएम के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से हुई थी जो आरपीएससी द्वारा आयोजित

की गई थी। इसी नियुक्ति आदेश में वरिष्ठता क्रमांक 68 में जहां अपीलार्थी का नाम है, वही क्रमांक 17 पर वरिष्ठता क्रम संख्या 52 में दुर्दाना कुरैशी का नाम है। इससे पता चलता है कि आर.पी.एस.सी. के माध्यम से चयनित महिला अभ्यर्थियों को इस आदेश के माध्यम से वरिष्ठता प्रदान की गई है। (अनुलग्नक–1) आदेश दिनांक 09.06.1997 (अनुलग्नक–2) के द्वारा, आर.पी.एस. सी. के माध्यम से पुरुष प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति की गई थी। जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 10.07.1997 तक नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। स्पष्ट है कि महिला प्रधानाध्यापकों और पुरुष प्रधानाध्यापकों के चयन और कार्यभार ग्रहण करने के बीच लगभग 5 माह का अंतर है। इस सूची में निजी प्रतिवादी मुकुट बिहारी शर्मा का नाम क्रम संख्या 1 पर है और उन्हें वरिष्ठता क्रम संख्या 1 दी गई है। इसी प्रकार भरत कुमार व्यास को वरिष्ठता क्रम संख्या 2, ओम प्रकाश शर्मा को क्रम संख्या 8 और वरिष्ठता क्रम संख्या 9 पर है एवं रमेश कुमार रंगा, क्रम संख्या 9 और वरिष्ठता क्रम संख्या 10 पर है। यद्यपि निजी प्रतिवादियों और अन्य पुरुष प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति एक ही वर्ष अर्थात 1997 में हुई थी, लेकिन उनकी नियुक्ति आदेश और कार्यभार ग्रहण करने की अवधि महिला प्रधानाध्यापकों से भिन्न है। उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद हेतु पुरुष एवं महिला प्रधानाध्यापकों की संयुक्त वरिष्ठता सूची वर्ष 2004–2005 में जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 890 पर है तथा वरिष्ठता क्रमांक 392 पर था, इसी प्रकार मुकुट बिहारी शर्मा का नाम क्रम संख्या 892 पर है तथा वरिष्ठता क्रमांक 414 पर था, भरत कुमार व्यास का नाम क्रम संख्या 893 पर है तथा वरिष्ठता क्रमांक 415 पर था, ओम प्रकाश शर्मा का नाम क्रम संख्या 899 पर है तथा वरिष्ठता क्रमांक 422 पर था तथा रमेश कुमार रंगा का नाम क्रम संख्या 900 और वरिष्ठता संख्या 423 है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी को वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 03.04.2013 के आदेश द्वारा पदोन्नत किया गया था, यह पदोन्नति आदेश वर्ष 2007–08 के लिए था, इस सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 187 पर है और उसकी वरिष्ठता क्रम संख्या पहले की वरिष्ठता क्रम संख्या अर्थात 392 पर यथावत कायम रखी गई है, इसी सूची में क्रम संख्या 188 पर सुरेश कुमार आचार्य का नाम है जिन्हें वरिष्ठता क्रम संख्या 459 दी गई है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्ष 1997 के लिए नियुक्त आर.पी.एस.सी. पुरुष प्रधानाध्यापकों की सूची में उनका नाम क्रम संख्या 46 पर है। क्रम संख्या 187 तक महिला उम्मीदवार का नाम उल्लेख है, उसके बाद केवल पुरुष उम्मीदवारों को वरिष्ठता से पदोन्नति दी गई है। यहां अन्य निजी प्रतिवादी मुकुट बिहारी

शर्मा अन्य निजी प्रतिवादियों के साथ, जिन्हें अपीलार्थी से 5 महीने बाद नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी के बाद वरिष्ठता क्रमांक 414 दी गई थी, को सूची से हटा दिया गया है, जिससे पता चलता है कि मुकुट बिहारी शर्मा और अन्य निजी प्रतिवादियों ने अपीलार्थी से पहले प्रधानाचार्य के पद के लिए पदोन्नति आदेश का प्रबंधन किया। उन्हें अपीलार्थी से पहले प्रधानाचार्य की वरिष्ठता सौंपी गई थी। मुकुट बिहारी शर्मा और अन्य निजी प्रतिवादी जो प्रधानाध्यापक के पद पर अपनी पदोन्नति का प्रबंधन करते हैं, उन्हें इस सही प्रक्रिया से सीधे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन प्रधानाध्यापक (HM) से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की सही प्रक्रिया प्रधानाध्यापक (HM) से वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी से अपीलार्थी और अन्य कर्मियों के मामले में इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है और निजी प्रतिवादियों के मामले में इसका पालन नहीं किया गया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी को दिनांक 29.04.2013 के डीपीसी आदेश द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। प्रतिवादियों द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.10.2009 (अनुलग्नक–5) में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 10 पर है और इस सूची में पुनः अपीलार्थी की वरिष्ठता बरकरार रखी गई है, क्योंकि उसे वरिष्ठता क्रमांक 392 प्रदान की गई है। यद्यपि प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति का यह आदेश तदर्थ था, लेकिन इस सूची में अपीलार्थी की वरिष्ठता बरकरार रखी गई है और उसे उचित वरिष्ठता प्रदान की गई है। आदेश दिनांक 29.04.2013 के आदेश, जिसके द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति डीपीसी आयोजित न होने के कारण लंबे विलंब के बाद हुई थी। अपीलार्थी आदेश दिनांक 16.10.2009 से प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थी और प्रतिवादी उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उससे प्रधानाचार्य के सभी कार्य ले रहे थे। मुकुट बिहारी शर्मा एवं अन्य निजी प्रतिवादी, जिनकी नियुक्ति अपीलार्थी से 5 महीने बाद हुई थी, वरिष्ठ उप डीईओ के लिए वर्ष 2004–2005 के लिए जारी की गई संयुक्त पात्रता सूची में अपीलकर्ता से नीचे रखे गए थे। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 2008–2009 के लिए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद के लिए दिनांक 05.04.2013 को पदोन्नति सूची जारी की गई थी, इस सूची में क्रम संख्या 820 पर निजी प्रतिवादी मुकुट बिहारी शर्मा को वरिष्ठता क्रमांक 414 दी गई है, इसी प्रकार भरत कुमार व्यास क्रम संख्या 821 पर वरिष्ठता संख्या 415 पर हैं, ओम प्रकाश शर्मा क्रम संख्या 827 पर वरिष्ठता संख्या 422 पर हैं और रमेश कुमार रंगा, क्रम संख्या 828, वरिष्ठता संख्या 423, पर पदोन्नति सूची में नाम दर्ज है, हालाँकि वे अपीलार्थी से कनिष्ठ थे क्योंकि उनकी नियुक्ति और

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अपीलार्थी के बाद थी और वर्ष 2004–2005 के लिए वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की जारी संयुक्त पात्रता सूची में उनका नाम अपीलार्थी से नीचे था। (अनुलग्नक–6) प्रधानाचार्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पद के लिए रिव्यू डीपीसी आयोजित की गई थी। इस सूची में सुरेश कुमार आचार्य का नाम शामिल किया गया है जो क्रम संख्या 83 पर है। इस सूची में सुरेश कुमार आचार्य के नाम से पहले उनकी वरिष्ठता क्रम संख्या 459 पर है, नियुक्ति वर्ष 1996–97 दर्शाया गया है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के बावजूद अपीलार्थी से पहले पदोन्नत होने में भी कामयाब रहा। (अनुलग्नक–7) प्रतिवादियों ने लापरवाही बरतते हुए और सभी नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता का ध्यान रखे बिना, दुर्भावनापूर्ण तरीके से पदोन्नति आदेश जारी किए, जिनमें सक्षम कार्मिक द्वारा या तो हटा दिए गए या कनिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति देकर उन्हें छोड़ दिया। राजस्थान सरकार द्वारा 28.11.1997 को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें बालक और बालिका विद्यालयों/संस्थाओं की अलग–अलग संचालित व्यवस्था को भंग कर दिया गया था और माध्यमिक शिक्षा के नियंत्रण और प्रशासन के लिए एक सामान्य व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस आदेश के अनुसार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को राजस्थान शिक्षा सेवा संवर्ग का नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक था। दिनांक 28.11.1997 के आदेश के अनुसार, सरकार की मंशा दो अलग–अलग व्यवस्थाओं को समाप्त करने की थी। जो बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा विभाग के स्कूल/संस्थान संचालित थे। (अनुलग्नक–8) निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा एक आदेश दिनांक 15.01.2010 जारी किया गया जो दिनांक 28.11.1997 के आदेश की अनुपालना में था जिसके द्वारा वरिष्ठता सूची के स्थान पर पात्रता सूची जारी की जानी थी, अतः वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु पुरुष एवं महिला वर्ग हेतु पात्रता सूची संयुक्त रूप से जारी की गई। यह प्रक्रिया उपरोक्त आदेश दिनांक 28.11.1997 की अनुपालना में की गई। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–II के पद हेतु 1997–1998 तक पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची पृथक–पृथक तैयार की जाएगी तथा 1998–1999 से पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी। (अनुलग्नक–9) आदेश दिनांक 28.11.1997 एवं आदेश दिनांक 15.01.2010 का पालन शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए किया जाना था लेकिन उपरोक्त दोनों आदेशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कई अभ्यावेदन देने एवं परिवेदना प्रस्तुत करने पर प्रतिवादियों ने उपरोक्त की अनुपालन में 2015 से कार्य किया। आदेशों पर काम शुरू किया। आदेश दिनांक

28.11.1997 की अनुपालना में पदोन्नतियों के उद्देश्य से संयुक्त/सामान्य वरिष्ठता सूचियां जारी की जानी थी। पत्र 20.04.2015 जिसके द्वारा पदोन्नति के लिए सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार की जानी थी, उसे बहुत पहले यानी 1997 में तैयार किया जाना चाहिए था जब 28.11.1997 का आदेश जारी किया गया था। आदेश दिनांक 28.11.1997 के विशिष्ट निर्देशों के अनुसरण में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए संयुक्त/सामान्य वरिष्ठता/पात्रता सूची तैयार किया जाना था, लेकिन विभाग ने दुर्भावना से कार्य करते हुए 28.11.1997 के आदेश का पालन नहीं किया। आदेश दिनांक 20.04.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसूची 1 एव 2 जो बालक एवं बालिका विद्यालय कैडर है, में नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां संबंधित नियमों के अनुसार किए जायेगे। इसके पैरा 4 जो अनुसूची 1 के संबंध में है। इसमें यह वर्णित है कि कैडर में रिक्तयों की गणना के बाद नियुक्ति और पदोन्नति की जाएगी, लेकिन विशेष रूप से पुरूष अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति का अनुसूची I के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए पुरुष और महिला दोनों कर्मी नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पात्र हैं। महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। महिला शिक्षकों के लिए अनुसूची II के अनुसार उनकी वरिष्ठता सूची के साथ डीपीसी की जाएगी और इस आधार पर अनुसूची I में कर्मियों की पदोन्नति के लिए पुरुष और महिला शिक्षकों की कॉमन वरिष्ठता तैयार की जाएगी। (अनुलग्नक–10) आदेश दिनांक 28.11.1997 आदेश एवं आदेश दिनांक 15.01.2010 के अनुसार कार्मिकों की कॉमन वरिष्ठता सूची जारी की जानी चाहिए थी, किन्तु प्रतिवादियों द्वारा दुर्भवानापूर्ण कार्यवाही करते हुए उपरोक्त आदेशों का 20.04.2015 के पश्चात उचित अनुपालन किया गया, यद्यपि प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 28.11.1997 के आदेश एवं दिनांक 15.01.2010 के आदेश के अनुसार पुरुष एवं महिला कार्मिकों को उचित वरिष्ठता प्रदान करने हेतु रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित करनी चाहिए। आदेश दिनांक 20.04.2015 द्वारा वर्ष 2015–2016 हेतु प्रधानाचार्य हेतु डी.पी.सी. पुरुष एवं महिला अभयर्थियों की संयुक्त डीपीसी आयोजित की गई जिसे बहुत पहले से आयोजित की जानी चाहिए थी। वर्ष 2006–2007 के लिए प्रिंसिपल पद के लिए डीपीसी 03.04.2013 को आयोजित की गई थी, वर्ष 2007–2008 के लिए प्रिंसिपल डीपीसी के पद के लिए डीपीसी 03.04.2013 को आयोजित की गई थी, वर्ष 2008–2009 के लिए प्रिंसिपल डीपीसी 05.04.2013 को आयोजित की गई थी, वर्ष 2007–2008 के लिए वरिष्ठ डिप्टी डीईओ के पद के लिए डीपीसी 03.04.2013 को आयोजित की गई थी, वर्ष 2009–2010 के लिए प्रिंसिपल के पद के लिए डीपीसी 17.04.2013 को

आयोजित की गई थी, वर्ष 2010–2011 के लिए प्रिंसिपल के पद के लिए डीपीसी 29.04.2013 को आयोजित की गई थी। और प्रिंसिपल वर्ष 2008–2009 के पद के लिए समीक्षा डीपीसी 03.10.2013 को आयोजित की गई थी, इस प्रकार 3 डीपीसी 03.04.2013 के आदेश के अनुसार आयोजित की गई थी और तीन डीपीसी अप्रैल, 2013 के महीने में क्रमशः 05.04.2013, 17.04.2013 और 29.04.2013 आयोजित की इस प्रकार अप्रैल 2013 में छः डी.पी.सी. आयोजित की गई थी, जो यह दर्शाती है कि प्रतिवादियों ने अवैध रूप से डी.पी.सी. का संचालन केवल अपनी पसंद के कर्मियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया था और जिन्हें वे पदोन्नति का अवैध लाभ प्रदान करना चाहते थे। वर्ष 2010–11 के लिए प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु सूची विभाग द्वारा आदेश दिनांक 29.04.2013 द्वारा जारी की गई थी, इस सूची में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 19 पर है तथा उसे वरिष्ठता क्रमांक 186 दी गई है। वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के लिए जारी आदेश दिनांक 03.04.2013 में अपीलार्थी का नाम है, लेकिन समीक्षा वर्ष 2008–2009 के प्रधानाचार्य पद के लिए जारी आदेश दिनांक 03.10.2013 में अपीलार्थी का नाम हटा दिया गया है तथा पदोन्नति आदेश दिनांक 29.04.2013 में अपीलार्थी का नाम सही वरिष्ठता क्रमांक अर्थात 186 पर रखा गया। (अनुलग्नक–11) अपीलार्थी ने अपनी उचित वरिष्ठता न दिए जाने से व्यथित होकर प्रतिवादियों के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी को अपनी शिकायत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, धौलपुर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। निर्देश के अनुपालन में, अपीलार्थी ने विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने सभी प्रासंगिक घटनाओं और प्रतिवादियों द्वारा उसे उचित वरिष्ठता न दिए जाने और उससे कनिष्ठ निजी प्रतिवादियों को पदोन्नत किए जाने से व्यथित होने के कारणों का उल्लेख किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, धौलपुर द्वारा अग्रेषित दिनांक 10.08.2020 के पत्र में इसका उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था, जबकि उनके कनिष्ठ मुकुट बिहारी शर्मा को प्रधानाचार्य के पद पर अपीलार्थी से पहले पदोन्नत किया गया था। (अनुलग्नक–12) वर्ष 2019–2020 एवं 2020–2021 हेतु प्रधानाचार्य से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों की अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 441 पर है, जो कि गलत है, क्योंकि जिन कार्मिकों की नियुक्ति अपीलार्थी के बाद हुई थी तथा विभाग द्वारा बार–बार जारी की गई विभिन्न वरिष्ठता सूचियों में उन्हें अपीलार्थी से नीचे रखा गया था, को पदोन्नत कर दिया जबकि अपीलार्थी की शिकायतों

पर विचार नहीं किया गया था। दिनांक 10.06.2021 को जारी अस्थायी वरिष्ठता सूची अनुलग्नक–13 पर है। वर्ष 2019–2020, 2020–2021 के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की डीपीसी हेतु अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी करते समय व्यथित कार्मिकों से आपत्तियाँ मांगी गई थीं। अपीलार्थी ने अपनी उचित वरिष्ठता निर्दिष्ट न किए जाने के कारण व्यथित होकर दिनांक 10.06.2021 के आदेश के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुत की। प्रतिवादियों ने दुर्भावनापूर्वक कार्य करते हुए आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए 3 दिन का समय प्रदान किया, जो कोविड–19 की दूसरी लहर की जटिलताओं के कारण उचित नहीं था, फिर भी अपीलार्थी ने नियत समय के भीतर ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुत की। (अनुलग्नक–14) अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार नहीं किया गया और प्रतिवादी ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की वर्तमान स्थिति पर ध्यान दिए बिना दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य किया। कोविड–19 की दूसरी लहर के कारण जीवन के लिए खतरा, वर्ष 2019–2020, 2020–2021 के लिए प्रिंसिपल से पदोन्नत होने वाले डीईओ की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 29.06.2021 को जारी की गई। प्रतिवादियों ने प्रिंसिपल से डीईओ के पद पर पदोन्नति की दो सूची जारी की, वे वर्ष 2019–2020 और 2020–2021 के लिए हैं, वर्ष 2020–2021 की सूची में अपीलर्थी का नाम क्रम संख्या 125 पर दर्शाया गया है, जिसके सामने अंतिम कॉलम में, जहां यह उल्लेख है कि पदोन्नति के लिए कार्मिक का चयन किस तिथि से किया गया है, उसे 01.11.2020 के रूप में दर्शाया गया है। दूसरी सूची में, जो उसी तिथि अर्थात 29.06.2021 को वर्ष 2019–2020 के लिए प्रिंसिपल से डीईओ के पद पर पदोन्नति के लिए क्रम संख्या जारी की गई है। 106, 107, 108 और 109 में निजी प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के नाम का उल्लेख है और चयन के वर्ष के कॉलम के सामने निजी प्रतिवादी संख्या 3 के लिए 01.06.2019 की तारीख अंकित है और शेष निजी प्रतिवादी के लिए उल्लिखित तिथि 01.07.2019 है। वर्ष 2019–2020 के लिए दिनांक 29.06.2021 के पदोन्नति आदेशों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को अपीलार्थी से पहले डीईओ के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया है। (अनुलग्नक–15)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दिनांक 10.06.2021 को डीईओ के पद पर वर्ष 2019–2020, 2020–2021 के लिए बनाई जा रही डीपीसी के लिए प्रधानाचार्य की पात्रता सूची को निरस्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी की शिकायत पर विचार

करने और उसे उचित पात्रता प्रदान की जावे, जिसके लिए वह वरिष्ठता रखती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को निर्देश जारी किए जाएं कि वर्ष 2019–2020, 2020–2021 के लिए डीईओ के पद पर प्रधानाचार्य की पदोन्नति के संबंध में अपीलार्थी की शिकायत पर विचार करने के बाद, समीक्षा डीपीसी जारी की जावे। साथ ही दिनांक 29.06.2021 को जारी डीईओ की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप से प्रभावी न की जावें, जो अपीलार्थी के अधिकारों का उल्लंघन करके और अपीलार्थी द्वारा उठाई गई शिकायत के बिना जारी की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 08.07.2021 को अंतरिम आदेश पारित किया कि आलौच्य आदेशों के ..... में की गई पदोन्नति उक्त अपील के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है अपीलार्थी के द्वारा समय रहते माननीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश नहीं की इसलिये भारतीय मर्यादा अधिनियम की धारा–05 एवं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 के प्रावधानों की धारा–09 के अनुसार समय सीमा निकल जाने के बाद माननीय अधिकरण के समक्ष विलम्ब के आधार पर इस प्रकार का प्रकरण प्रस्तुत नही किया जा सकता है। अजय सिंह बनाम् (डब्ल्यू.एल. सी.) 2003 पेज–559 में माननीय न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि विलम्ब के कारण अपील खारिज कर देनी चाहिए। जो कि माननीय उच्च न्यायालय ने धमेन्द्र बनाम् राज्य सरकार में 2012 के निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता है। लम्बे अन्तराल के बाद राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिनियम 1976 की धारा 09 के अनुसार समय बाधित होने के कारण अपील खारिज फरमायी जावें। माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय ने एससीटी 2006(1) पेज नं0 778 बलराम प्रसाद बनाम म.प्र. राज्य में सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि किसी कर्मचारी की पदोन्नति होने के लम्बे समय के उपरान्त उस पदोन्नति आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बी एस बजवा बनाम पंजाब राज्य एस एस सी 1998 (2) पेज नं. 523 में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि लम्बे अंतराल के बाद पदोन्नति एवं वरिष्ठता सूची को चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रधानाध्यापिका माध्यमिक छात्रा विद्यालयों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम 392 अवधि 1996–97 पर अंकित है। उल्लेखनीय है कि नियमानुसार माध्यमिक स्तर के छात्रा विद्यालयों हेतु पृथक से सीधी भर्ती

आयोजित की जाती थी जिसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होते थे। उक्त भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 11.02. 1997 के द्वारा पदस्थापित किया गया था। प्रधानाध्यापक माध्यमिक छात्र विद्यालय हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची में अपील में उल्लेखित प्रत्यर्थी संख्या 03 से 06 चयनित है। प्रधानाध्यापक पद हेतु महिला व पुरूष अभ्यर्थी दोनों ही नियमानुसार पात्र होते है। उक्त भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 09.06.1997 के द्वारा पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी का चयन राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 4(4) में उल्लेखित अनुसूची––छात्रा संस्थाओं हेतु प्रधानाध्यापिका पद पर सीधी भर्ती से किया गया था। शासन के पत्र कमांक प–16 (2) शिक्षा–2/2013 जयपुर दिनांक 20.04. 2015 द्वारा प्रदत्त निर्देशों से पूर्व प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों पर महिलाओं का चयन मात्र अनुसूची ाा हेतु उपलब्ध रिक्त पदों पर किया जाता था। अपीलार्थी की प्र०अ० पद की वरिष्ठता 392 अवधि 1996–97 के आधार पर वरिष्ठता सहयोग्यता से वउजिशिअ पद पर वर्ष 2008–09 में अनुसूची–1 की रिक्ति के प्रति किया गया। उक्त डीपीसी में अपीलार्थी से वरिष्ठ अन्य अभ्यर्थियों का भी नियमानुसार किया गया चयन निम्नानुसार अवलोकनीय हैः–

क्र.स.	नाम	जन्म तिथी	वरिष्ठता	अवधि
1.	सुशीला सुवालका	04.09.1952	384	1996–97
2.	राधा राजपूत	05.03.1953	385	1996–97
3.	सुनिता यादव	06.06.1960	387	1996–97
4.	अरूणा कुमारी	26.02.1965	388	1996–97
5.	राजेश महरवाल	04.02.1960	390	1996–97
6.	गायत्री स्वर्णकार	01.07.1967	391	1996–97
7.	मुकुल कविया	11.11.1967	392	1996–97

अपीलार्थी द्वारा अपील के इस बिन्दु में उल्लेखित प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 एवं अभ्यर्थी सुरेश कुमार आचार्य का चयन राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 4 (4) में उल्लेखित अनुसूची–1 – छात्र संस्थाओं हेतु प्रधानाध्यापक पद पर सीधी भर्ती से किया गया था एवं उच्च पद पर इनका चयन अनुसूची की रिक्तियों के प्रति किया गया है। अपीलार्थी की तुलना इन अभ्यर्थियों से नियमानुसार नहीं की जा सकती है। महिला अभ्यर्थियों का अनुसूची की रिक्तियों के प्रति चयन प्रथम बार डीपीसी वर्ष 2015–16 से प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में किया जाना आरंभ हुआ। अपीलार्थी का चयन

प्रधानाध्यापक की वरिष्ठता 392/1996–97 से वउजिशिअ एवं समकक्ष पद पर डीपीसी वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के प्रति किया गया है एवं वउजिशिअ के पद पर उक्त चयन के आधार पर निर्धारित वरिष्ठता 186 अवधि 2008–09 के अनुसार वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर अपीलार्थी का चयन प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद डीपीसी वर्ष 2010–11 में किया गया है। अपीलार्थी से किसी भी कनिष्ठ महिला अभ्यर्थी का इनसे पूर्व उक्त पद पर चयन नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील के इस मद में उल्लेखित प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 का चयन प्रधानाध्यापक मावि से प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर चयन वर्ष 2008–09 में अनुसूची I की रिक्ति के प्रति किया गया है। तत्समय नियमानुसार अनुसूची पर पुरूष अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाता था। अपीलार्थी का यह कथन कि प्रत्यर्थी संख्या 03 से 06 द्वारा वरिष्ठता मैनेज की गई है पूर्णत मिथ्या है। विभाग में डीपीसी राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानानुसार व समय–समय पर इस संबंध में शासन स्तर से जारी निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार सम्पन्न की जाती है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं की तुलना अनुसूची–1 में चयनित इन अभ्यर्थियों से नियमानुसार नहीं की जा सकती है। उल्लेखित सुरेश कुमार आचार्य का चयन अनुसूची–1 की रिक्ति के प्रति वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर नियमानुसार किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उसकी तुलना स्वंय से करना नियमानुसार उचित व न्याय संगत नहीं है। प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर पदोन्नति राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानों एवं उनके कम में शासन स्तर से समय–समय पर जारी नियम, निर्देशों के अनुकम में नियमानुसार की जाती है। पदोन्नति की एक सुसंगत व्यवस्था है। शासन के पत्र कमांक प–16 (2) शिक्षा–2/2013 जयपुर दिनांक 20.04.2015 द्वारा प्रदत्त निर्देशों से पूर्व प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों पर महिलाओं का चयन अनुसूची–II हेतु उपलब्ध रिक्त पदों पर किया जाता था। उक्त निर्देशों के पश्चात् ही चयन वर्ष 2015–16 की प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों की डीपीसी में महिला अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम अनुसूची–II में वरिष्ठतानुसार चयन किये जाने के पश्चात् शेष महिला अभ्यर्थियों अनुसूची–1 में चयन किये जाने हेतु पुरूष अभ्यर्थियों के साथ कॉमन पात्रता में वरिष्ठतानुसार सम्मलित किया गया एवं वर्तमान में उक्तानुसार ही विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन संबंधी कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखित अवधि में अन्यान्येक कारणों से कई संवर्ग के अनेक पदों की पदोन्नतियां विलंबित हुई थी। विभाग में वर्ष 2013 में विलंबित अनेक वर्षों की पदोन्नतियां वृहद स्तर पर पदोन्नति नियमों के प्रावधानुसार नियम संगत व विधि सम्मत की गई।

पदोन्नतियां रिक्ति अवधारित करने के पश्चात् वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर की गई है इसमें किसी भी स्तर पर किसी को प्राथमिकता (फेवर) नहीं किया गया है व न ही अपीलार्थी से किसी भी कनिष्ठ महिला अभ्यर्थी को अपीलार्थी की वरिष्ठता को अधिक्रमित करके उससे पूर्व पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी का चयन प्रधानाध्यापक की वरिष्ठता 392/1996–97 से वउजिशिअ एवं समकक्ष पद पर डीपीसी वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के प्रति किया गया है एवं वउजिशिअ के पद पर उक्त चयन के आधार पर निर्धारित वरिष्ठता 186 अवधि 2008–09 के अनुसार वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर अपीलार्थी का चयन प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद डीपीसी वर्ष 2010–11 में किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील के इस मद में उल्लेखित प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 का चयन प्रधानाध्यापक मावि से प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर चयन वर्ष 2008–09 में अनुसूची–1 की रिक्ति के प्रति किया गया है। तत्समय प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति सर्वप्रथम वउजिशिअ के पात्र अभ्यर्थियों से की जाती थी। वउजिशिअ के पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर शेष रही रिक्तियों पर 50:50 के अनुपात में व्याख्याता–स्कूल शिक्षा एवं प्रधानाध्यापक मावि के अभ्यर्थियों से वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर अनुसूची–ाा में महिला अभ्यर्थियों तथा अनुसूची–ा में पुरूष अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था। चूंकि तत्समय नियमानुसार अनुसूची–1 पर पुरुष अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाता था तो अपीलार्थी उन रिक्तियों पर चयन हेतु पात्र नही थी। विभाग में डीपीसी राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानुसार व समय–समय पर इस संबंध में शासन स्तर से जारी निर्देशो के अनुरूप नियमानुसार सम्पन्न की जाती है। मद में अपीलार्थी द्वारा स्वयं की तुलना अनुसूची में चयनित इन अभ्यर्थियों से नियमानुसार नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी अनुसूची–1 में चयनित अभ्यर्थियों से तुलना कर रही है जबकि अनुसूची–ाा में अपीलार्थी से पूर्व अपीलार्थी की वरिष्ठता का अधिकमित करते हुए किसी भी महिला अभ्यर्थी को चयनित नहीं किया गया है। डीपीसी वर्ष 2019–20 व 2020–21 की जिला शिक्षा अधिकारी पद पर चयन हेतु निर्मित पात्रता में अभ्यर्थी उनके चयन वर्ष में वरिष्ठतानुसार दर्शाये गये है। अतः अपीलार्थी द्वारा की जा रही तुलना नियमानुसार नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु तैयार अस्थाई पात्रता पर आपत्ति ऑनलाईन आवेदित थी जिसके लिए 3 दिवस पर्याप्त समय था एवं अपीलार्थी के समान अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी समानुपाती समय था। जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर उसके निचले पद अर्थात प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर कार्यरत कार्मिक को वरिष्ठतानुसार

पदोन्नत किया जाता है। अपीलार्थी अपने प्रधानाचार्य चयन वर्ष 2010–11 के आधार पर वर्ष 2020–21 में चयनित हुई है तथा जिन कनिष्ठ कार्मिकों का उल्लेख किया गया है वे प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर पूर्ववर्ती वर्षो में चयनित है। अपीलार्थी प्रधानाध्यापिका (अनुसूची–II) एवं प्रधानाध्यापक (अनुसूची–1) को मिश्रित कर माननीय अधिकरण को गुमराह करने का प्रयास कर रही है जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक–मावि एवं प्रधानाध्यापिका–मावि की तत्समय अलग–अलग भर्ती प्रक्रिया द्वारा की गई थी। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने उभय पक्षों के अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं उभय पक्ष के कथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 11.02.1997 द्वारा प्रधानाध्यापिका राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष पद पर दो वर्ष के परीवीक्षा काल पर हुई एवं निजी प्रत्यर्थीगण की नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.1997 द्वारा प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष पद पर दो वर्ष के परीवीक्षा पर हुई। तत्समय राजस्थान शिक्षा सेवानियम 1970 के नियम 4(4) के अतंर्गत अनुसूची I में छात्र संस्थाओं एंव अनुसूची II के अनुसार छात्रा संस्थाओं हेतु अलग–अलग चयन एवं भर्ती की व्यवस्था थी एवं अलग–अलग कैडर होने से इनकी पदोन्नति भी संबंधित कैडर में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुरूप होती है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 28.11.1997 द्वारा शिक्षा विभाग को छात्र एवं छात्रा संस्थाओं के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग में परिवर्तित कर दिया एवं महिला संस्थाओं हेतु स्वीकृत पदों को समाप्त कर प्राथमिक शिक्षा के पदों का सृजन कर दिया यथा उपनिदेशक (महिला) को उपनिदेशक (प्राथमिक) शिक्षा, कर दिया एवं जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) का पद नाम समाप्त कर इसका कार्य जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) को सौंपा गया। विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2010 द्वारा अध्यापक (ग्रेड III) एवं वरिष्ठ अध्यापक (ग्रेड II) के पदों की वर्ष 1997–98 तक की वरिष्ठता सूचियों पुरूष एवं महिला वर्गों के लिए पृथक–पृथक एवं वर्ष 1998–99 से इकजाई बनाने हेतु निर्देश जारी किया। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 20.04.2015 द्वारा निर्देशित किया कि सर्वप्रथम छात्रा संस्थाओं हेतु महिला अध्यापिकाओं की वरिष्ठता सूची के अनुसार अनुसूची II में उल्लेखित पदों की डीपीसी को एवं उसके पश्चात महिला एवं पुरूष अध्यापकों की कॉमन वरिष्ठता के आधार पर अनुसूची I में उल्लेखित छात्र संस्थाओं के पद पर पदोन्नति दी जावे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति के प्रकरणों तारा अग्रवाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (SBCWP No. 13808/2009) में पारित रिपार्टेबल आदेश दिनांक 09.09.2024 में यह निर्धारित किया हैः–

> ''23. Hence, non-consideration of the petitioners for promotion to the post of Teachers Grade II is violative of their fundamental rights under Article 14, 15, 16 and 21 of the Constitution. The competent authority and the State have committed a serious error of law in determining the seniority list merely on the basis of the greater number of boys' school. At a time when 'beti padhao, beti bachao' is the goal, such an action of the respondents could neither be supported in law nor on facts.
>
> 24. In view of the alove, the present writ petition. stands allowed. The respondents are directed to consider the case not only of the petitioners but also of all the similarly situated female teachers appointed as Teacher Gr-Ill upto the year 1998 for their promotion to the post of Senior Teacher Gr- II for the vacancies of the year 2008-09 and 2009-10 and grant them all consequential benefits.
>
> 25. All pending application(s), if any, also standa disposed of.
>
> 26. It goes without saying that the entire exercise would be completed by the respondents within a period of three months from the date of receipt of the certified copy of this order."

अपीलार्थी के प्रकरण में अपीलार्थी को वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पद पर रिक्ती वर्ष 2007–08 के विरूद्ध आदेश दिनांक 03.04.2013 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। इस आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह पदोन्नति पुरूष एवं महिला कार्मिकों की इकजाई पात्रता सूची के आधार पर दी गई है। पदोन्नति आदेश में महिला एवं पुरूष दोनों कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। विभागीय आदेश दिनांक 28.11.1997 द्वारा पुरूष एवं महिला संस्थाओं हेतु पृथक–पृथक सृजित पदों को समाप्त कर उन्हें माध्यमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा के रूप में स्वीकृत किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी को इकजाई वरिष्ठता सूची के आधार पर वर्ष 2007–08 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई एवं यह पदोन्नति वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी छात्रा संस्थाओं के लिए नहीं थी। क्योंकि पदोन्नति आदेश में ऐसा कोई अंकन नहीं है एवं इस आदेश में पुरूष एवं महिला कार्मिकों को इकजाई पदोन्नति दी गयी है।

प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से यह स्पष्ट है कि नियमों में प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद के पात्र अभ्यर्थियों

से की जाती है एवं वउजिशिअ के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष रही रिक्तियों पर 50:50 के अनुपात में व्याख्याता स्कूल शिक्षा एवं प्रधानाध्यापक माावि के पात्र अभ्यार्थियों से वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर की जाती है। निजी प्रत्यर्थीगण को रिक्ती वर्ष 2008–09 में प्रधानाध्यापक से सीधे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। जबकि अपीलार्थी वर्ष 2007–08 की रिक्तियों के विरूद्ध व उजिशिअ पदोन्नत हो चुकी थी। अतः नियमानुसार 2008–09 में प्रधानाचार्य पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु पहले विचार किया जाना अपेक्षित था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जब वर्ष 2007–08 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तत्समय वह प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र एवं योग्य थी। अपीलार्थी को वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति छात्रा संस्थाओं हेतु नहीं दी गई है एवं इकजाई वरिष्ठता के आधार पर यह पदोन्नति वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी के सामान्य पद पर की गई है। निजी प्रत्यर्थीगण को आदेश दिनांक 05.04.2013 द्वारा रिक्ती वर्ष 2008–09 के विरूद्ध प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी II) के पद पर पदोन्नत किया इसे छात्र या छात्रा संस्था का अकंन नही है। इसमें महिला एवं पुरूष कार्मिकों का इकजाई रूप से पदोन्नत किया गया है। इसमें अपीलार्थी के साथ चयनित कार्मिक जो प्रधानाध्यापक (एचएम) के पद पर कार्यरत है, को भी पदोन्नति दी गई है जबकि अपीलार्थी वर्ष 2007–08 की रिक्ती पर वउजिशिके पद पर पदोन्नत है एवं नियमानुसार प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु पहले वउजिशि के पद पर कार्यरत पात्र कार्मिकों पर विचार किया जाना था। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.04.2013 द्वारा रिक्ती वर्ष 2010–11 की रिक्तियों के विरूद्ध की रिक्तियों के विरूद्ध प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (गुप डी II) के पद पर पदोन्नत किया है इसमें भी छात्र या छात्रा संस्थाओं का अंकन नहीं है। साथ ही इस आदेश में महिला एवं पुरूष कार्मिकों को इकजाई रूप से पदोन्नत किया गया है। अर्थात यह पदोन्नति मात्र छात्रा संस्थाओं के लिए नहीं है।

उपयुर्क्त विवेचन के दृष्टिगत हमारा मत है कि जब अपीलार्थी को वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर वर्ष 2007–08 की रिक्ती के विरूद्ध सामान्य पद पर महिला एवं पुरूष कार्मिकों की इकजाई वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नत किया गया है। उस दशा में वर्ष 2008–09 के प्रधानाचार्य के रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु सर्वप्रथम वउजिशिअ के पद पर कार्यरत पात्र कार्मिकों पर नियमानुसार विचार किया जाना था, जो नहीं किया गया है तथा

अपीलार्थी के साथ नियुक्त कार्मिक एवं निजी प्रत्यर्थीगण जो प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे, को सीधे वर्ष 2008–09 की रिक्ती पर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई है जबकि अपीलार्थी व उजिशिअ के पद पर वर्ष 2007–08 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत होने से पहले उसके नाम पर विचार किया जाना आवश्यक था। उसके पश्चात ही प्रधानाध्यापक से सीधे प्राधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाना था। क्योंकि ..... के पद पर पदोन्नत होने से अपीलार्थी उन कार्मिकों से पहले पदोन्नति प्राप्त करने की हकदारी है, जो प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। अतः अपीलार्थी वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष के पद पर पदोन्नति की पात्र है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में वर्ष 2008–09 के प्रधानाचार्य के पद की पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित करे एवं अन्यथा रूप से पात्र पाये जाने की दशा में पदोन्नत किया जाकर तदनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जावे एवं आगे के उच्च पदों यथा जिला शिक्षा अधिकारी पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित की जावे तथा अपीलार्थी की वरिष्ठता के अनुरूप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार समस्त कार्यवाही 3 माह की अवधि में करना सुनिश्चित करें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष